

अनुसूची 6 [विनियम 6(1) देखें]

भारत में निगमित किसी कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सहित) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) से प्रत्यावर्तन के आधार पर जमाराशियां स्वीकार करना

भारत में निगमित कोई कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) अनिवासी भारतीयों (NRI) अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) से प्रत्यावर्तन के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाराशियां स्वीकार कर सकती है:

- i) जमाराशियां सार्वजनिक (पब्लिक) जमा योजना के अंतर्गत प्राप्त की जाती हैं।
- ii) यदि जमाराशियां स्वीकार करने वाली कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो वह रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत होनी चाहिए और उसे इस प्रकार की कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित क्रेडिट रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए।
- iii) इस प्रकार की जमाराशियां बैंकिंग चैनल के जरिये भारत के बाहर से आवक विप्रेषण द्वारा अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक में एनआरई अथवा एफ़सीएनआर (बी) खाते में नामे डालकर प्राप्त की गयी हों।
- iv) यदि जमाराशियां प्राप्त करने वाली कंपनी कोई गैर-बैंकिंग कंपनी हो, तो इन जमाराशियों पर देय ब्याज की दर ऐसी कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / निदेशों के अनुरूप होगी। अन्य मामलों में, जमाराशियों पर देय ब्याज दर कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, 2014 के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित उच्चतम ब्याज सीमा से अधिक नहीं होगी।
- v) जमाराशियों की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- vi) जमाराशियां स्वीकार करने वाली कंपनी भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधि, नियमों, विनियमों, आदेशों के प्रावधानों, जो जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में उस पर लागू हों, का पालन करेगी।
- vii) कंपनी द्वारा स्वीकार की गयी कुल जमाराशियां उसकी स्वाधिकृत निधियों के 35% से अधिक नहीं होंगी।
- viii) कंपनी द्वारा करों को घटाकर ब्याज का भुगतान प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जमाकर्ता को विप्रेषण के जरिए या जमाकर्ता के विकल्प पर एनआरई / एफ़सीएनआर(बी) / एनआरओ/ खाते में अपेक्षानुसार जमा करके कर सकती है।
- ix) इस प्रकार वसूली गयी जमाराशियों का उपयोग कोई भी कंपनी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं) पुनः उधार देने के लिए अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों या स्थावर संपदा कारोबार के लिए अथवा इस प्रकार का कार्य करने वाली या ऐसे कार्य करने का प्रस्ताव करने वाली किसी अन्य संस्था, फर्म या कंपनी में निवेश के लिए नहीं करेगी।
- x) कंपनी जमाकर्ताओं को जमाराशियों की चुकौती किसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से भारत से विप्रेषण द्वारा अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास जमाकर्ता के एनआरई / एफ़सीएनआर (बी) खाते में जमा करके कर सकती है, बशर्ते जमाकर्ता चुकौती के समय तक अनिवासी बना रहे। जमाराशियों की परिपक्वता पर देय राशि के विप्रेषण या उसे एनआरई / एफ़सीएनआर(बी) खाते में जमा करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत व्यापारी को आवेदन करते समय कंपनी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह जमाराशि भारत के बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिये अथवा जमाकर्ता के एनआरई / एफ़सीएनआर (बी) खाते में नामे कर के, जैसा भी मामला हो, प्राप्त हुई थी।
- xi) जमाकर्ता के विकल्प पर चुकौती राशि को जमाकर्ता के एनआरओ खाते में भी जमा किया जा सकता है।